मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 16-104/04/2/34 भोपाल, दिनांक OCT 200

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:- वाहन किराये पर लेने की अनुमति ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 1032/पीए/वि./यां./प्र.अ./08, दिनांक 21.8.2008

3485/PUS
01-10-08

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के पत्र क्रमांक-एफ 3-1/2007/नियम-चार/दिनांक 26.10.2007 की प्रति संलग्न कर लेख है कि जारी निर्देशो अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें ।

SE(MECH)

E-IN-C
1/10/08

अपर सचिव 30/9/08
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 1199 /पी.ए./प्र.अ./वि.यां./08 भोपाल, दिनांक 1.10.08

प्रतिलिपि:- समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वा.यां.विभाग परिक्षेत्र, भोपाल/वि.यां.भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया विभागाध्यक्ष के रूप में प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करें । प्रमुख अभियंता कार्यालय से संबंधित कार्यवाही भी मुख्य अभियंता भोपाल द्वारा की जाए ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार.

S/-
(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियन्ता

o/c
S.E.(E&M.)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 3-1/2007/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषयः- विभिन्न विभागों / कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिए जाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2006/नियम/चार, दिनांक 24 जून, 2006 .

--000--

मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंशियल पावर्स - 1995 भाग-1 के सेक्शन -II के क्रमांक -11 के अंतर्गत शासकीय कार्य हेतु आवश्यकतानुसार टैक्सी किराये पर लिए जाने के अधिकार विभिन्न अधिकारियों को प्रदत्त हैं । वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 24 जून, 2006 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि टैक्सी किराये पर लिए जाने हेतु जो अधिकार प्रदत्त हैं, उनकी आवश्यकता यदा-कदा आवश्यक कार्य हेतु 1-2 दिनों के लिए टैक्सी किराये पर लिए जाने के संबंध में है । शासन के ध्यान में आया है कि विभिन्न कार्यालयों द्वारा मासिक आधार पर बिना किसी सीमा के टैक्सियां / लक्जरी गाडियां किराये पर ली जा रही हैं । शासकीय कार्य हेतु निजी वाहन किराये पर लिए जाने पर विभिन्न कार्यालयों / विभागों द्वारा अलग- अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

2/ शासकीय कार्यों के संदर्भ में विभिन्न विभागों / कार्यालयों द्वारा विभाग में वाहनों की कमी के चलते मासिक आधार पर टैक्सियां किराये पर ली जाती हैं । मासिक आधार पर टैक्सियां किराये पर लिये जाने हेतु शासकीय धन के उचित उपयोग एवं एकरूपता की दृष्टि से ये निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

(1) वाहन किराये पर लेने की व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी ।

(2) वाहन किराये पर लेने हेतु मासिक दरें नियमानुसार सेवाकर (Service Tax) हेतु पंजीकृत फर्मों / संस्थाओं से निविदा आमंत्रित कर निर्धारित की जानी चाहिए ।

(3) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किराये पर लिए जाए ।

(4) डीलक्स अथवा लक्जरी गाडियां किराये पर लेना प्रतिबंधित रहेगा । केवल न्यूनतम सेगमेंन्ट की गाडियां टैक्सी बतौर किराये पर ली जा सकती है ।

(5) वर्तमान में शासकीय अधिकारियों को आंवटित वाहन के लिए 60 लीटर प्रति माह पेट्रोल / डीजल की सीमा निर्धारित है । वाहनों की वर्तमान में औसत माईलेज 13 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर रहती है । इस प्रकार माह में औसतन 800 किलोमीटर वाहन चलती है । अतः मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिए जाने हेतु मुख्यालय पर अधिकतम 800 किलोमीटर की सीमा को आधार माना जाए । इस हेतु प्रतिदिन टैक्सी की उपलब्धता हेतु समय भी निर्धारित किया जा सकता है, जो 10 घंटे से अधिक न हो । वाहन किराये के फिक्ड चार्जेज निर्धारित किए जाना चाहिए ।

(6) मुख्यालय से बाहर की भ्रमण औसतन अवधि निर्धारित की जाना चाहिए । निर्धारित दूरी में 20 प्रतिशत अधिक तक ही वाहन का मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु उपयोग किया जाएगा ।

(7) किराये पर वाहन लेने हेतु निविदा आमंत्रण में मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स्ड चार्ज तथा मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु वेरिएबल चार्ज (variable charge)पृथक- पृथक प्राप्त करना चाहिए ।

(8) प्राप्त निविदाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन (analysis and evaluation) फिक्सड चार्जेस (Fixed charges), वेरिएबल चार्जेस (variable charges), मुख्यालय के बाहर की यात्राओं हेतु अनुमानित निर्धारित औसत दूरी आदि कारकों (Factors) के आधार पर किया जाय एवं तदनुसार सफल निविदाकारों को क्रमबद्ध किया जाए ताकि वाहनों की अधिप्राप्ति हेतु उपयुक्त एवं सही दरें निर्धारित हो सकें ।

(9) उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर उत्तरकारी निविदाओं (responsive tenders) को क्रम बद्ध कर संविदा प्रदाय हेतु सफल निविदाकार का चयन किया जाय ।

(10) संविदा के कार्यान्वयन की अवधि में सेवा प्रदाता द्वारा संविदा का निष्पादन भली प्रकार किया जा रहा है इसका निरंतर परिवीक्षण (Monitoring) भी विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाय ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग